न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी:— अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

प्र.सं.— 27/2019
जी.सी.एम.एस. : 2019/00186

1. रामचन्द उर्फ चन्दू राम पूत्र बिशना राम जाति बिश्नोई निवासी 55 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर

—प्रार्थी

बनाम

1. राजा राम पुत्र श्री सही राम जाति बिश्नोई निवासी 55 एनपी
2. कृष्ण लाल पुत्र श्री चन्दु राम जाति बिश्नोई निवासी 55 एनपी
3. बिरमा देवी पत्नि सही राम जाति बिश्नोई निवासी 55 एनपी
4. चन्दकौरी पत्नि मंगला राम जाति बिश्नोई निवासी 55 एनपी तहसील रायसिंहनगर श्री गंगानगर राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, रायसिहनगर
6. इमीचन्द पुत्र हेमाराम नायक निवासी 36 एनपी तहसील रायसिंहनगर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर टी एक्ट

उपस्थिति:—

1. श्री राजू राम ओझा वकील प्रार्थी
2. श्री अनिल बिश्नोई वकील अप्रार्थीगण
3. श्री परमजीत सिंह मेहरा वकील अप्रार्थी सं. 6

—: निर्णय :—

दिनांक : 19.01.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी जोत चक 36 एनपी के खाता सख्या 88 मे दर्ज मु.न. 46 प.न. 214/332 के कि0न0 16 ता 20 की कुल 1.265 है0 नहरी खातेदारी भूमि में पहुँच के प्रयोजनार्थ अप्रार्थीगण की भूमि चक 36 एनपी मु.न. 46 के कि0न0 5—6—15 में पूर्वी तरफ 2—2 बिस्वा व मु.न. 27 प. न. 214/331 के कि0न0 25 के पूर्वी दक्षिणी कोना में पीछे के रास्ते से मिलान हेतु 16 फुट रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी स. 6 को प्रा0पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना स्वीकार कर पक्षकार संयोजित किया गया। जवाब अप्रार्थीगण पेश हुआ। संबंधित भू अभिलेख निरीक्षण से जॉच रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक ठण्डी के अनुसार मु.न. 46 के कि.न. 16 ता 20 के काश्तकार को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। मु.न. 46 मे कि.न. 5—6—15 में 0.025 है0 प्रत्येक तथा मु.न. 27 के कि.न. 25 मे 0.002 है0 रास्ता स्वीकृत किए जाने पर कि.न. 16 ता 20 के काश्तकार को रास्ता उपलब्ध होगा। उक्त रास्ता स्वीकृत करने पर मु.न. 46 के अन्य काश्तकार को भी रास्ता उपलब्ध होगा।

प्रकरण मे पक्षकरान द्वारा राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि [illegible]चन्द्र उर्फ चन्दूराम का रास्ता स्वीकृती का आवेदन स्वीकार [illegible] अप्रार्थी [illegible] की कृषि भूमि वाके चक 36 एनपी के मु.न. 46 के कि.न. 5 में से दो बिस्वा य[illegible] 0.0[illegible] पूर्वी [illegible]पासा, अप्रार्थीया बिरमादेवी के इसी मुरब्बा नंबर 46 के किला [illegible] यानि 0.025है0 पूर्वी पासा, अप्रार्थीगण राजाराम व कृष्णलाल की इसी मुरब्बा [illegible] संयुक्त खाता की भूमि से किला न. 15 में से में एक बिस्वा यानि 0.012है0 पूर्वी प[illegible] वा इसी चक में अप्रार्थी[illegible] चन्दकौरी की मुरब्बा न. 27 प.न. 214/331 के कि.न. 25 के दक्षिणी—पूर्वी कार्नर की 16 गुणा 16 फूट यानि 0.002है0 कुल 0.064है0 रास्ता स्वीकृत कर उक्त रास्ता की भूमि के बदले मुआवजा के तोर पर भूमि प्रार्थी रामचन्द्र उर्फ चन्दूराम वा अप्रार्थी कृष्णलाल के मध्य पिता—पुत्र

—मा।
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.02.02 13:54:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

के संबंध होने से दोनों ने आपसी सहमति वा रजामन्दी अन्तर्गत अप्रार्थी कृष्णलाल अप्रार्थी राजाराम के साथ संयुक्त खाता में धारित कृषि भूमि वाके चक 36 एनपी के मु.न. 46 के कि.न. 11 से 15 में अपने 1/2 हिस्सा की भूमि में से अप्रार्थी राजा राम को 0.064है0 अप्रार्थीगण बिरमा देवी व चन्दकौरी की सहमति वा रजामन्दी से देते हुये तदनुसार राजस्व अभिलेखों में उक्त 0.064है0 रकबा अप्रार्थी कृष्णलाल के हिस्सा में से कम करते हुये अप्रार्थी राजाराम के नाम से तथा अप्रार्थीया बिरमा देवी अपनी कृषि भूमि वाके चक 36 एनपी के मु.न. 46 के कि.न. 1 में से 0.002है0 अर्थात 16 गुणा 16 फुट उतरी पासा अप्रार्थीया चन्दकौरी को देते हुए तदनुसार राजस्व अभिलेखों में उक्त 0.002है0 रकबा अप्रार्थीया बिरमा देवी के हिस्सा में से कम करते हुये अप्रार्थीया चन्दकौरी के नाम से अमलदरामद किया जावे। राजीनामा अनुसार प्रकरण को निर्णित करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील अभयपक्ष की सुनी गयी। वकील उभयपक्ष ने राजीनामा अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर गैर मुम. रास्ता स्वीकार करने तथा मुआवजा दिलाने का निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया रिपोर्ट आईएलआर एवं प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया। प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया हैं, एवं सहमति से रास्ता स्वीकार करवाना चाहते हैं और राजीनाम अनुसार ही मुआवजा प्राप्त करने हेतु निवेदन किया हैं। तथा रिपोर्ट आईएलआर अनुसार प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि मे आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग नही है अतः प्रार्थी की रास्ते की आवयकता अत्यांतिक आवश्यकता है। अतः राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायालय की मत मे न्यायोचित्त प्रतीत होता है।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर चूंकि प्रकरण में पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो गया हैं, अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बरूए राजीनामा स्वीकार किया जाता हैं तथा 36 एनपी मु.न. 46 के कि0न0 5–6 में 2–2 बिस्वा यानि प्रत्येक 0.025है. 15 में 1 बिस्वा यानि 0.012है. पूर्वी तरफ व मु.न. 27 प.न. 214/331 के कि0न0 25 के दक्षिणी पूर्वी कोना की 16 गुणा 16 फुट यानि 0.002है. गैर मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। तथा उक्त रास्ता की भूमि के बदले मुआवजा के तोर पर राजीनामा अनुसार प्रार्थी रामचन्द्र उर्फ चन्दूराम वा अप्रार्थी कृष्णलाल के मध्य पिता–पुत्र के संबंध होने से दोनों की आपसी सहमति वा रजामन्दी अन्तर्गत अप्रार्थी कृष्णलाल अप्रार्थी राजाराम के साथ संयुक्त खाता में धारित कृषि भूमि वाके चक 36 एनपी के मु.न. 46 के कि.न. 11 से 15 में अपने 1/2 हिस्सा की भूमि में से अप्रार्थी राजाराम को 0.064है0 भूमि देगा, तदनुसार राजस्व अभिलेखों में उक्त 0.064है0 रकबा अप्रार्थी कृष्णलाल के हिस्सा में से कम करते हुये अप्रार्थी राजाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे तथा अप्रार्थीया बिरमा देवी अपनी कृषि भूमि वाके चक 36 एनपी के मु.न. 46 के कि.न. 1 में से 0.002है0 अर्थात 16 गुणा 16 फुट उतरी पासा भूमि अप्रार्थीया चन्दकौरी को देगी, तदनुसार राजस्व अभिलेखों में उक्त 0.002है0 रकबा अप्रार्थीया बिरमा देवी के हिस्सा में से कम करते हुये अप्रार्थीया चन्दकौरी के नाम से अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.02.02 13:54:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner